

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश
प्रगति भवन, तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल
दूरभाष 0755-2674206, 2674248 फ़ैक्स 0755-2766315

क्रमांक/संरक्षण/24/II/ 1988

भोपाल, दिनांक 26-3-2014

प्रति,


✓ समस्त क्षेत्र संचालक,
टाइगर रिजर्व, म.प्र.

विषय:- विद्युत करंट से वन्यप्राणियों की मृत्यु की घटनाओं पर अंकुश लगाने बाबत।


संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का पत्र क्रमांक/1661/2014/13 दिनांक 14.03.2014


उपरोक्त विषय पर मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी परिपत्र संलग्न प्रेषित है। विद्युत करंट से वन्यप्राणियों के शिकार/मृत्यु की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ त्रैमासिक बैठक आयोजित कर परिपत्र में दिये गये निर्देशों का पालन विद्युत विभाग से कराया जाये। यदि इन निर्देशों के पालन में कार्यवाही की जाना नहीं पाया जाता, तो इस कार्यालय को तत्काल अवगत करायें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(नरेन्द्र कुमार)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.




मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक
प्रति,

/2014/तेरह

भोपाल, दिनांक

प्रबंध संचालक,

म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषय : विद्युत करंट से वन्यप्राणियों की मृत्यु की घटनाओं पर अंकुश लगाने बावत् ।

:-

वन विभाग द्वारा विद्युत करंट से वन्यप्राणियों की मृत्यु की घटनाओं में हो रही निरंतर वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है। वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 में विद्युत करंट से क्रमशः 66 एवं 90 वन्य प्राणियों की मृत्यु हुई थी। माह जनवरी एवं फरवरी, 2014 में भी विद्युत करंट से 7 वन्यप्राणियों की मृत्यु हुई थी।

उपरोक्त के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु अनुरोध है :-

1. विद्युत करंट से वन्यप्राणियों के शिकार के प्रकरण में वन विभाग द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने के साथ-साथ विद्युत निरीक्षकालय के अधिकारियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाए ।
2. संवेदनशील वन क्षेत्रों में जहां विद्युत करंट से दुर्घटना की घटनायें आमतौर पर होती हैं Earth Leakage Circuit breakers लगाए जाए ।
3. विद्युत वितरण कंपनी के कर्मियों द्वारा जंगलों के समीप स्थित खेतों से गुजरने वाली विद्युत लाईनें जहाँ झुक गई हों या तार टूटे हों अविलंब उसकी मरम्मत की जाए ।
4. वन्य क्षेत्रों में 11 केव्ही. लाइनों के समस्त "ट्रिपिंग ऑन अर्थ फॉल्ट" की वन विभाग के साथ मिलकर जांच की जाए ।
5. भविष्य में भूमि के ऊपर यदि विद्युत लाईन डाली जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि वे निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर हो । जहां पर विद्युत लाईनें विद्यमान हैं वहां न्यूनतम ऊंचाई की जांच की जाए तथा जहां आवश्यकता हो वहां लाईन की ऊंचाई बढ़ायी जाए ।

पंजी नं. 658/2014/10-2
दिनांक 19-03-2014

04/31
19/3/14

6. जिला स्तर पर वनमंडलाधिकारियों एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाए। इन बैठकों में संबंधित मैदानी अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(एम.धारीवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
भोपाल, दिनांक 14.3.2014

क्रमांक 166.1 /2014/तेरह
प्रतिलिपि :

उपरोक्त क्र. 22/03/2014

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल। उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 एवं 5 के अनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु अनुरोध है।

PCCF (W.L.)
(M.P.) BHO

18/3/14

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

SO-2 नए पीसी
PCCF WL को आकार करने के लिए
वीएच के आवेदनार्थ प्रस्ताव की

विशेष कर्तव्यस्थ
ज्या

14 ✓
PCCF (WL) को
आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।

18/3/14

255
25/3/14